



न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-16/2018-19

राकेश गोराई.....अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित															
26.06.18	<p>अपीलार्थी राकेश गोराई, पिता-यदुनन्दन गोराई, ग्राम-बुण्डू (मांझीटोली), डाकघर-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-269 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-06/03/2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवरणी</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बुण्डू</td> <td>बुण्डू/28</td> <td>296</td> <td>598</td> <td>02 डीसमील</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>599</td> <td>02 डीसमील</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त भूमि मैंने यदुनन्दन गोराई से निबंधन पट्टा द्वारा खरीदा है एवं उक्त भूमि का दाखिल खारिज मेरे नाम पर कराना चाहता हूँ। अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-269 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-06/03/2018 को पारित आदेश में खाता संख्या 296 के स्थान पर 196 दर्ज है जिसे सुधार कर उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज मेरे नाम पर किया जाए। अपीलार्थी द्वारा समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-269 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-06/03/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक ने उपस्थित होकर भूमि से संबंधित मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया। इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि खाता संख्या 296 के स्थान पर 196 दर्ज होना लिपिकीय भूल है एवं निम्न न्यायालय में सुनवाई की तिथि को आवेदक अनुपस्थित रहने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त लिपिकीय भूल सुधार कर अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू(राँची)। </p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू(राँची)। </p>	मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	बुण्डू	बुण्डू/28	296	598	02 डीसमील				599	02 डीसमील	<p>368(ii) <cr 27.06.18</p>
मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा													
बुण्डू	बुण्डू/28	296	598	02 डीसमील													
			599	02 डीसमील													